न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
भागीरथराम (आरटीएस)
दिनांक– 17-09-18

मि.न.– 64 / 2018

सरकार बनाम श्रीमती भरफाई देवी पत्नि स्व. श्री महेन्द्र

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित । सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नांगल पण्डितपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम हांसियावास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 243 / 0.26 किस्म जमीन गै0मु0 रास्ता पर भरफाई देवी पत्नि श्री स्व. श्री महेन्द्र जाति गुर्जर निवासी हांसियावास तहसील कोटपूतली जिला जपयपुर ने 50 मीटर पर सरसों के ढाकला व छडी ईधन डालकर नाजायज रूप से ने अतिक्रमण कर लिया है। रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये । सूचनापरान्त गैर सायल को बार– बार अवसर दिया जाने के उपरान्त भी गैर–सायल उपस्थित नहीं आया । इसलिए गैरसायल के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अतः गैर सायल भरफाई देवी पत्नि श्री स्व. श्री महेन्द्र जाति गुर्जर निवासी हांसियावास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम हांसियावास तहसील कोटपूतली के ख0 न0243 रकबा 0.26 किस्म जमीन गै0मु0रास्ता में से 0.005है0 पर अतिक्रमी घोषित करते हुये उक्त आराजियात पर सरसों के ढाकला व छडी ईधन को हटाकर गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.20 का पचास गुणा 10 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे ! निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 17.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

2018 019 ... के रा० लै० 4
पृष्ठ संख्या 09 पर 05
10 ... किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली